कार्यालय प्राचार्य,राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज
जनपद– ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड – 262405
Email- gdcsitarganj@ gmail.com website- www.gpgcsitarganj.in

दिनांकः 19/07/2025

छात्र आचार–संहिता

1. समस्त छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय समय–सारिणी के अनुसार कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।

2. प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक छात्र को प्रमाणित पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। छात्रों को प्रतिदिन अपना पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य है। अनुशासन मण्डल के सदस्यों /प्राध्यापकों/कार्मिकों या परिसर सुरक्षा कर्मी के मांगने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत करने से मना करना दण्डनीय है।

3. महाविद्यालय यूनिफार्म/वेशभूषा एकता तथा एकरूपता का प्रतीक है। अतः छात्रों को प्रतिदिन निर्धारित वेशभूषा में आना अनिवार्य है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के आदेशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतया वर्जित है। रैगिंग करना या इसके लिए प्रेरित करना दण्डनीय है।

5. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का धूम्रपान (पान मसाला, तंबाकू, मद्यपान इत्यादि) करना निषेध है। इसका उपयोग करते हुए पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

6. अध्ययनरत् कक्षाओं में मोबाइल फोन का उपयोग वर्जित है।

7. महत्वपूर्ण सूचनाओं/गतिविधियों से अवगत होने के लिए प्रतिदिन नोटिस बोर्ड का अवलोकन करें तथा संबंधित गतिविधियों/ कार्यकलापों में प्रतिभाग करें।

8. महाविद्यालय अन्य छात्र या संकाय सदस्यों की संपत्ति को हानि पहुंचाने या नष्ट करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

9. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ एवं हरा–भरा रखने में सहयोग दें। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें।

शास्ता मण्डल

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)

10. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, अनाधिकृत सभाएं, जुलूस, राजनीतिक प्रचार–प्रसार इत्यादि निषेध है।

11. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक माहौल बनाये रखने के लिये शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाये रखें। किसी भी प्रकार की हूटिंग, सीटी बजाना इत्यादि जैसे कार्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

12. परिसर /कक्षाओं से निकलते समय अनावश्यक चलते हुए बिजली एवं पंखे इत्यादि का स्विच बंद करें। शौचालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

13. किसी भी व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म या धार्मिक विश्वासों, रंग, क्षेत्र, भाषा, विकलांगता या यौन उत्पीड़न आदि के आधार पर भेदभाव (शारीरिक अथवा मौखिक आचरण) का कोई भी कार्य निषेध है।

14. कानून या नीति के विपरीत किसी भी विस्फोटक हथियार, आतिशबाजी को महाविद्यालय लाना या उपयोग करना दण्डनीय अपराध है।

15. शैक्षिक गतिविधियों/सेमिनार/कार्यशाला इत्यादि में निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहें।

16. शिक्षणेत्तर गतिविधियों में प्रतिभाग हेतु विभिन्न समितियों के संयोजकों की सूचनाओं के अनुसार अपनी प्रतिभा एवं अभिरूचि को बढ़ावा देने का प्रयास करें।

17. महाविद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर उत्तम व्यवहार का परिचय देते हुए महाविद्यालय नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

/2023

शास्तृमण्डल

राजकीय महाविद्यालय मुख्य शास्ता सितारगंज (ऊ०सि०नगर)

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सितारगंज (ऊधम सिंह नगर)